प्रेस नोट 15/02/2024

मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत पॉक्सो एक्ट में दोषसिद्ध अभियुक्त 10 वर्ष के कठोर कारावास व ₹55000 के अर्थदंड से हुआ दंडित–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अविनाश पाण्डेय के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट–प्रथम जनपद मऊ द्वारा आज दिनांक 15–02–2024 को, मु0अ0सं0 296/2016 धारा 363,366,376 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट थाना हलधरपुर में दोषसिद्ध अभियुक्त सिन्टू पाल उर्फ अविनाश पाल पुत्र मुन्ना पाल निवासी नगवा मोहनपुर थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर को कारित अपराध के लिए धारा 4 पॉक्सो एक्ट में 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं ₹55000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया।

सजा कराये जाने में अपर शासकीय अधिवक्ता श्री प्रवीण कुमार मिश्र, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री घनश्याम यादव, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी रामवचन गौड़ थाना हलधरपुर का सराहनीय योगदान रहा।

उ0प्र0 पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित आगामी आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती–2023 परीक्षा को सकुशल सम्पन्न कराए जाने के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अविनाश पाण्डेय के निर्देशन में मऊ पुलिस द्वारा लगातार व्यापक स्तर सर्तकता बरते जाने के क्रम में आज **दिनांक 15.02.2024 को एसओजी/स्वाट एवं सर्विलांस टीम द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर परीक्षा में गड़बड़ी फैलाने का प्रयास कर रहे 02 शातिर युवकों को हिरासत लेकर पूछताछ/चेकिंग की गयी तो उनके कब्जे से सचिन कुमार यादव पुत्र अमेरिका यादव निवासी पतजीवा थाना दोहरीघाट जनपद मऊ के नाम से एक कूटरचित एडमिट कार्ड बरामद हुआ।** कड़ाई से पूछताछ के दौरान उक्त द्वारा बताया गया कि दिनांक 13.2.2024 को मैं दोपहर के समय में पतजीवा बाजार में केजीएन जन सेवा केंद्र/मोबाइल सेंटर में अपना उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का एडमिट कार्ड निकलवाने गया था तो मेरा वास्तविक सेंटर सुखराम सिंह टीचर ट्रेनर इंस्टिट्यूट कॉलेज सरवा मऊ था। जन सेवा केंद्र संचालक का नाम पता चंद्रेश यादव पुत्र निवासी पतजीव थाना दोहरीघाट जनपद मऊ। सचिन कुमार यादव और चंद्रेश यादव दोनों मिलकर वास्तविक एडमिट कार्ड पर परीक्षा केंद्र का नाम बदल कर फर्जी नाम एस एस जे इंटर कालेज पतजीवा बनाकर चंद्रेश यादव द्वारा सचिन यादव के मोबाइल पर पीडीएफ भेज दिया गया तथा सचिन यादव द्वारा उस पीडीएफ को अपने मोबाइल के व्हाट्सएप ग्रुप स्कूल फ्रेंडस ग्रुप में वायरल कर दिया गया तथा सभी को बताया कि मेरा सेंटर गांव के विद्यालय एस एस जे इंटर कॉलेज पतजीव में पड़ा है। जब कि उक्त विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाया ही नही गया है। इसी फर्जी एडमिट कार्ड को देखकर अन्य ग्रुप मेंबर्स भी स्कूल स्टाफ से संपर्क करने लगे तथा भ्रमक अफवाहें फैल गयी। थाना स्थानीय पर उक्त दोनों युवकों से पूछताछ तथा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, उक्त परीक्षा में किसी भी प्रकार का विध्न/गड़बड़ी बिल्कुल बर्दाश्त नही किया जायेगा, परीक्षा के अवसर पर यदि किसी के भी द्वारा कोई भी छोटी से छोटी भी गड़बड़ी/विध्न डालने का प्रयास किया जाता है तो सर्वसम्बन्धित के विरुद्ध सख्त से सख्त विधिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

मऊ। थाना कोपागंज क्षेत्रार्न्तगत मोहम्मदपुर जजवा में एक व्यक्ति रामकुमार द्वारा अपना नया मकान बनवाया गया है तथा मकान के अन्दर जाने के लिये जीना बना लिया गया था जो कि रास्ते में आ रहा था, जिसके सम्बन्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु पड़ोस के मुद्रिका व चन्द्रिका चौहान द्वारा स्थानीय पर प्रार्थना पत्र दिया गया था जिस पर दिनांक 08.02.2024 को स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर जाकर उक्त

कार्य को रोक दिया गया था। तत्पश्चात उक्त मुद्रिका व चन्द्रिका चौहान द्वारा दिनांक 09.02.2024 को तोड दिया गया। तब से लेकर अब तक उक्त रामकुमार द्वारा कतिपय आरोप पुलिस पर लगाये जा रहे हैं। जिन लोगों द्वारा उक्त प्रकरण को अनावश्यक रुप से तूल दिया जा रहा है उनके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। प्रकरण की जांच क्षेत्राधिकारी घोसी द्वारा की जा रही है, जांचोपरांत गुण दोष के आधार पर सर्वसम्बन्धित के विरुद्ध निश्चित रुप से आवश्यक विधिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।